

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

:- धनकी

मुकदमा - 128 भूरा.अधि.

विपक्षी :- हरिराम

पत्रावली संख्या : 90/22

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 15.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दरतावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 4 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जताई। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थीगण सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

:- आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भावपुरा, पटवार हल्का अमरपुरा जागीर, तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078-81 की खाता संख्या नया 50 की आराजी नम्बर 387, 388 कित्ता 2 रकबा 1.3100 हेक्टेयर भूमि के चारों दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 1000/- एक हजार रूपया कमिश्नर शूलक पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

